राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3836/2021

नरेन्द्र कुमार मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.09.2021
आदेश की दिनांक : 29.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर पुलिस निरीक्षक की वरिष्ठता सूची दिनांक 05.03.2007 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि पुलिस निरीचक रिक्ति वर्ष 2006–07 के विरूद्ध के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार करते हुए समस्त परिणामिक लाभ प्रदान किये जावे एवं यह भी निर्देश दिये जावे कि उससे कनिष्ठ कार्मिक को पुलिस निरीक्षक रिक्ति वर्ष 2006–07 जो पदोन्नति प्रदान की गई है उसी तिथि से अपीलार्थी को पदोन्नति पर विचार करते हुए वरिष्ठता प्रदान करे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति उप निरीक्षक के पद पर राजस्थान पुलिस अधिनस्थ सेवा नियम 1989 के तहत सिधी भर्ती के द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग में दिनांक 18.01.1998 में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 11.01.2007 के द्वारा पुलिस निरीक्षक के अनुसूचित जनजाति वर्ग के 18 रिक्त पद प्रकाशित किये गये और उक्त पदों को योग्यात्मक परीक्षा के आधार पर भरा गया।

अपीलार्थी ने भी रिक्ति वर्ष 2006–07 के विरूद्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु भाग लिया। परिपत्र दिनांक 06.07.1997 के आधार पर पुलिस कार्मिकों का साक्षातकार एवं सेवा अभिलेख का आकलन किया गया। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कभी दण्डित नहीं किया गया फिर भी आदेश दिनांक 05.03.2007 के द्वारा उसका उक्त परीक्षा में चयन नहीं किया गया जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिक श्री रामसिंह मीणा को पदोन्नति प्रदान कर दी गई। जो अनुलग्नक–1 से प्रकट की गई और अपीलार्थी को पुलिस निरीक्षक रिक्ति वर्ष 2008–09 के विरूद्व पदोन्नति किया गया। जो अनुचित एवं नियम के विरूद्व है। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार नियम 2005 के तहत दिनांक 25.08.2021 को आवेदन दिया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे सुचित किया गया कि अपीलार्थी ने कुल अंक 168.5 प्राप्त किये है जबकि 175 अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। अपीलार्थी का तर्क है कि सूचना के आधार पर अपीलार्थी ने 30 में से 6.5 अंक अर्जित किये जबकि अपीलार्थी को किसी प्रकार से दण्डित नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को पुरूस्कार एवं दण्डित हैड से कम से कम 20 अंक दिये जाने चाहिए थे यदि सही नियमानुसार मूल्यांकन किया गया होता तो अपीलार्थी को 185 से भी अधिक अंक प्राप्त होते परन्तु प्रत्यर्थी विभाग की ओर से गलत तरीके से अपीलार्थी के अंको की गणना की गई है जो विधि विरूद्व है। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में दिनांक 06.09.2021 को अभ्यावेदन दिया परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निस्तारण नही किया गया है और गलत तरीके से उसकी प्राप्तांको की गणना होने से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक अपीलार्थी से वरिष्ठ हो गया और उसे उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्व पदोन्नति प्रदान कर दी गई। जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्व है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर पुलिस निरीक्षक की वरिष्ठता सूची दिनांक 05.03.2007 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि पुलिस निरीक्षक रिक्ति वर्ष 2006–07 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार करते हुए समस्त परिणामिक लाभ प्रदान किये जावे एवं यह भी निर्देश दिये जावे कि उससे कनिष्ठ कार्मिक को पुलिस निरीक्षक रिक्ति वर्ष 2006–07 के जो पदोन्नति प्रदान की गई है उसी तिथि से अपीलार्थी को पदोन्नति पर विचार करते हुए वरिष्ठता प्रदान करे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर वर्ष 2006–07 से योग्यात्मक परीक्षा में सम्मिलित हुआ।

अपीलार्थी का प्राप्त रिकॉर्ड अनुसार एग्रीगेट नहीं बनने के कारण उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक स योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2006–07 में चयन नहीं किया गया। उक्त प्रक्रिया राजस्थान पुलिस अधिनस्थ सेवा नियम 1989 के तहत दिनांक 28.01.1999 के अनुसार की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा गठित बोर्ड के आदेश दिनांक 23.12.2006 एवं कार्यालय आदेश दिनांक 05.03.2007 के द्वारा सफल अभ्यार्थियों के पुलिस निरीक्षक के पद पर पीसीसी हेतु चयन सूची आदेश जारी किये गये। जिसमें किसी प्रकार की नियमों का उल्लघंन नहीं किया गया और नियमानुसार ही सफल अभ्यार्थियों को पदोन्नति प्रदान की गई। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जबाव का उल जबाव प्रस्तुत कर यह बहस की है कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसके अंको का सही आकलन नही करते हुए मूल्याकनं नहीं किया गया जिससे अपीलार्थी पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति आने से वंचित रह गया और उससे कनिष्ठ कार्मिक को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के प्रथम नियुक्ति उप निरीक्षक के पद पर राजस्थान पुलिस अधिनस्थ सेवा नियम, 1989 के तहत सिधी भर्ती के द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग से दिनांक 18.01.1998 में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 11.01.2007 के द्वारा पुलिस निरीक्षक के अनुसूचित जनजाति वर्ग के 18 रिक्त पद प्रकाशित किये गये जिसको योग्यात्मक परीक्षा के आधार पर भरा गया। जिसमें अपीलार्थी ने भी रिक्ति वर्ष 2006–07 के विरूद्व पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु भाग लिया। जहां तक पुलिस निरीक्षक रिक्ति वर्ष 2006–07 की चयन सूची दिनांक 05.03.2007 में अपीलार्थी की योग्यात्मक परीक्षा में कम अंक होने के कारण उससे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति हो जाने एवं अपीलार्थी की पदोन्नति ना होने का प्रश्न है, विवादग्रस्त चयन सूची दिनांक 05.03.2007 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ श्री रामसिंह मीणा को पुलिस निरीक्षक रिक्ति वर्ष 2006–07 में पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई जबकि अपीलार्थी का नाम अंकन नही किया गया। हमारे मत में अपीलार्थी के रिवार्ड एवं दण्ड हैड के अंको का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी

स्थाई आदेश संख्या 7/97 दिनांक 06.06.1997 एवं दिनांक 28.01.1999 के स्थाई आदेश में पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा के लिये पाठयक्रम निर्धारित किया गया है। जिसके अनुपालना में रिवार्ड एवं पनिस्मेंट हैड (रिवार्ड–15 एवं पनिस्मेंट–15) में कुल 30 अंक निर्धारित किये गये है। अपीलार्थी को पनिस्मेंट में हैड से मात्र 1 अंक की कटौती की जानी चाहिए थी परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कुल 6.5 अंक दिये गये है, जबकि अपीलार्थी को मात्र स्टोपेज ऑफ ग्रेड–इनक्रीमेंट से दण्डित होने के कारण एक ही अंक की कटौती उक्त आदेश के अनुसार दर्शायी गई है। इस प्रकार अपीलार्थी को पनिस्मेंट हैड से 15–1=14 अंक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिये जाने चाहिए थे जो नही दिये गये है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बहस के दौरान पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलार्थी को उक्त एक दण्ड के अलावा और भी कोई दण्ड दिया गया हो। इस प्रकार अपीलार्थी के कुल अंक 6.5+14=20.5 अंक होते है और अपीलार्थी ने परीक्षा में जो कुल अंक 168.5 प्राप्त किये है उसमें 14 अंक और जोडे जाते जिससे कुल अंक 182.5 अंक होते और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 175 अंक प्राप्त करना आवश्यक थे जो अनिवार्य अंको से भी अधिक होते है। इस प्रकार अपीलार्थी के प्राप्तांको में सही मूल्याकंन न होने से उससे कनिष्ठ कार्मिको उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्व और अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से त्रुटि होने से पदोन्नति पाने से वंचित रह गया जो नियम विरूद्व है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 05.03.2007 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते है कि योग्यात्मक परीक्षा में रिवार्ड एवं पनिस्टमेंट हैड में प्राप्त अंको का सही निर्धारण कर उसकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए पुलिस निरीक्षक के रिक्ति वर्ष 2006–07 के विरूद्व रिव्यू डीपीसी आयोजित कर पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को लाभ प्रदान किया गया है उसी तिथि से अपीलार्थी के नाम पर विचार कर समस्त परिणामिक लाभ प्रदान किये जावे।

उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य